P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-6* February- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

अध्यापकों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन

संजय कुमार
सहायक प्राध्यापक,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
जीवनी बी0 एड0 कॉलेज
अडुका चिडावा झुन्झुनू,
राजस्थान, भारत

सारांश

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। इस अधिकार से भारतीय बच्चो को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो चुका हैं । RTE आरक्षित तबकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरुरतों वाले बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियिम (RTE) शिक्षण और सीखने की गुणवता पर केन्द्रित है जिसे निरंतर प्रयास और सतत् सुधारो की जरुरत होती है।

किसी भी अध्ययन की सार्थकता उसकी आवश्यकता के स्वरूप एवं उपयोगितात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है। RTE प्रत्येक बालक को विशेष समझ कर उसकी शैक्षिक समस्याओं का निराकरण किया जा सके और उसे लाभान्वित किया जा सके।

मुख्य शब्द : आरटीई, जागरूकता, अध्ययन

प्रस्तावना

शिक्षा का अधिकार एक मूलभूत मानव अधिकार है। किसी भी लोकतान्त्रिक प्रणाली की सरकार की सफलता वहाँ के सभी नागरिकों के शिक्षित होने पर निर्भर करती है। एक शिक्षित नागरिक स्वयं को विकसित करता है और साथ ही साथ अपने देश को भी विकास की ओर आगे बढ़ाने में योगदान करता है। शिक्षा ही एक व्यक्ति को मानव की गरिमा प्रदान करती है। हमारे देश में यह कहा गया है कि एक अशिक्षित व्यक्ति पशु के समान है। किन्तु हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी बालकों को शिक्षा देने का कर्तव्य संविधान में राज्य के नीति–निदेशक तत्व के रूप में संविधान के भाग 4 में रखा था। अनुच्छेद 45 के अधीन राज्य का 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क एवम् अनिवार्य शिक्षा देने का कर्तव्य था। यह माना गया था कि जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें संविधान के इस निदेश को ईमानदारी से कार्यान्वित करेंगी। नीति–निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों से कम महत्व नहीं दिया गया है।

RTE आरक्षित तबको के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराता है। अनिवार्य शिक्षा शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता पर केन्द्रित है जिसे निरन्तर प्रयासों की जरूरत है।

अध्ययन का महत्व

भारत सरकार ने अगस्त 2009 को तथा राजस्थान सरकार ने 29 मार्च 2011 को जो अधिसूचनाएँ जारी की, उनमें बच्चे के इस अधिकार को मान्यता दी गई है कि निःशुल्क निर्बाध व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करें। इससे लगभग एक करोड़ ऐसे बच्चों को भी लाभ मिलेगा जो इस समय स्कूलों से बाहर है। केन्द्र सरकार ने इस महत्वकांक्षी योजना के लिए राज्यों को इस वर्ष 25 हजार करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये हैं। अब बच्चे को घर पर मजबूरी में रखना अभिभावकों के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा बल्कि खुद विद्यालय गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए खुद बुला रहा है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून 2009 का पास होना भारत के बच्चों के लिए ऐतिहासिक क्षण है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि हरेक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और यह इसे राज्य परिवार और समुदाय की सहायता से पूरा करता है। विश्व के कुछ ही देशों में निःशुल्क और बच्चे पर केन्द्रित तथा मित्रवत शिक्षा दोनो को सुनिश्चित करने का राष्ट्रीय प्रावधान मौजूद है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियिम (RTE) आरक्षित तबकों के लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ बाल श्रमिक, प्रवासी बच्चों, विशिष्ट जरुरतों वाले बच्चों को एक मंच उपलब्ध कराता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियिम (RTE) शिक्षण और सीखने की गुणवता पर केन्द्रित है जिसे निरंतर प्रयास और सतत् सुधारो की जरुरत होती है।

अध्ययन का औचित्य

किसी भी अध्ययन की सार्थकता उसकी आवश्यकता के स्वरूप एवं उपयोगितात्मक पहलुओं पर निर्भर करती है। साथ ही इस संदर्भ में यह देखा जाता है कि अध्ययन समाज को क्या नई दिशा देने वाला है। उपयुक्तता मानक रूपी दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन सार्थक एवं औचित्यपूर्ण है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 से अध्यापकों की जागरूकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी सोच के साथ शोधकर्ता ने ''अध्यापकों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन'' विषय पर शोध करने का निर्णय लिया। इस अध्ययन के द्वारा जो निष्कर्ष निकलेंगे वे निश्चय ही शिक्षा जगत को उचित मार्गदर्षन प्रदान करेंगे तथा आज के इस समय इस शीर्षक पर शोध का औचित्य है। यह शोध देश, शिक्षा जगत, अध्यापकों के लिए उपयोग निष्कर्ष प्रदान करेगा इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु शोधकर्ता ने इस प्रकरण को चयनित किया।

समस्या कथन

अध्यापकों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन।

अध्ययन के उद्देश्य

सरकारी एवं निजी अध्यापकों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पनाएँ

सरकारी एवं निजी अध्यापकों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।

अध्ययन का परिसीमन

1. शोध में राजस्थान राज्य चूरू एवं झुंझनूं जिले को सम्मिलित किया गया है।
2. शोधार्थी द्वारा चूरू/झुंझनूं जिले के सरकारी व निजी कुल 80 ग्रामीण एवं शहरी विद्यालयों का चयन किया गया है।
3. शिक्षक चयन–शोधार्थी द्वारा 80 सरकारी व निजी विद्यालयों से 160 शिक्षकों का चयन किया गया है।

शोधविधि

प्रस्तुत अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है क्योंकि अनुसंधान की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि द्वारा प्राप्त निष्कर्ष वैध एवं विश्वसनीय होते हैं।

अध्ययन में प्रयुक्त उपकरण

जागरूकता मापनी

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा अध्यापकों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता के मापन के लिए स्वनिर्मित मापनी को आधार माना गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी

प्रस्तुत शोध अध्ययन में प्रयुक्त सांख्यिकी मध्यमान (M)] प्रमाणिक विचलन (SD) एवं C.R. Value की गणना की जायेगी।

समंकों का सारणीयन एवं विष्लेशण

प्रस्तुत शोधकार्य में अनुसंधानकर्ता ने संकलित एवं व्यवस्थित आंकड़ों का विश्लेषण जिस प्रकार किया है, उसका परिकल्पनानुसार विवरण निम्न प्रकार है –

सारणी संख्या – T.IV.1

सरकारी एवं निजी अध्यापकों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता के फलांको के सम्बन्ध में मध्यमान अन्तर की सार्थकता

अध्यापक	संख्या (N)	माध्य (Mean)	मानक विचलन (S.D.)	कांतिक अनुपात मान (C.R. Value)	सार्थकता स्तर	
					.05	.01
सरकारी	80	28.66	4.12	3.50		सार्थक अन्तर हैं।
निजी	80	26.84	4.88			

($df=N_1+N_2$ &2=80+80&2=158)

विश्लेषण

उपर्युक्त सारणी में गणना द्वारा प्राप्त मान तालिका मान से अधिक है। इस आधार पर परिकल्पना को अस्वीकृत किया जाता है। अर्थात् सरकारी एवं निजी अध्यापकों की आरटीई–2009 के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है।

प्रस्तुत अध्ययन की शैक्षिक उपयोगिता

1. 'सब के लिए शिक्षा' नीति को सफल बनाया जा सके।
2. इसके माध्यम से समाज में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों को उनका खोया हुआ स्थान प्रदान करा सके।
3. शिक्षा के माध्यम से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम से उन्हे शिक्षित होने का अवसर प्राप्त होगा।
4. समाज में बढ़ रहे विभिन्न प्रकार के बहिराव को रोक सकें।
5. विद्यालय, परिवार और समुदाय विद्यार्थियों की शैक्षिक व सामाजिक समस्याओं के प्रति अपनी सही जिम्मेदारी को समझ सकें।
6. नवीन शिक्षा पद्धतियों का प्रयोग किया जा सके ताकि हाशिये पर स्थित अधिगमकर्ता भी लाभान्वित हो सके।
7. प्रत्येक बालक को विशेष समझ कर उसकी शैक्षिक समस्याओं का निराकरण किया जा सके और उसे लाभान्वित किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

www.google.com/LeadershipQualities-a/efo41898. pdf
www.google.com/LeadershipQualities-a/efo41898. pdf
http://www.sagepub.co.uk/journalsPermissions.nav/Sociology
www.uj.nic.in/Research Projects/Schooladjustmentwp.pdf
www.ncc.com